

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठुमर जिला अलवर

नं. ....

तारीख रजु.....

गोपाल वगैरा

बनाम

कुंवर वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 110 वाके ग्राम बराडा तहसील कठुमर के विवादीत आराजीयात के एवं मौके यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज़्र हो तो दिनांक 08.12.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.12.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
- कठुमर (अलवर)

पुषाव करीकेन उप0/P.O.  
ग्राहक  
पत्रावली विनाश  
जो पेश हो।

8-12-20

9-2-21

उपस्थित  
साक्षिक आदेश दिनांक 19.10.20  
की पालना में पत्रावली वासी  
दिनांक 27/11/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठुमर (अलवर)


तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए


25/8/22

वकील अशोक (उपस्थित)  
साबिक आदेश दिनांक 19/10/22 को पालना में फर्मा श्री वास्ते रुद्र  
दिनांक 3/10/22 को पेश हो

  
उपसुब्द अधिकारी  
कलमर (अलखर)

31/10/22

पत्रावली रुद्र वाद के साथ पैम हुई वकील अशोक  
उपस्थित नहीं आये। वकील व उनके जमी के  
का-2 काकाज दिनांक 3/10/22 को उपस्थित  
नहीं आया। फर्मा जमी का डायरी नं-102 अ-2-2022  
उपस्थित है। अदर एजरी में खपलिया लिखा  
जाता है। पत्रावली में मेल हुआ है। नं-102  
से कत हो। वाद रुद्र रुद्र वाद के साथ अशोक  
से (सुनाना)

  
उपसुब्द अधिकारी  
कलमर (अलखर) राज०